उत्तराखण्ड शासन
सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या– 316 /XVII-C-1/2024–21(सै0क0)/2002(TC)
देहरादूनः दिनांक : 26 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत पूर्व सैन्य अधिकारी **कर्नल(से.नि.) करम सिंह बिष्ट** को संविदा आधारित अस्थाई पद पर वेतनमान रू0 67700– 208700 (लेवल–11) में निम्नलिखित उपबन्धों/शर्तो के अधीन पुनर्योजन/नियुक्ति प्रदान करते हुए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, पिथौरागढ़ के पद पर एतद्द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल महोदय पदस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर यह नियुक्ति संविदा/अनुबन्ध के आधार पर की जा रही है, जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए वैध होगी और सन्तोषजनक सेवा होने पर शासन पुनः इस अवधि को 03 वर्ष हेतु और बढ़ाने पर विचार कर सकता है परन्तु 06 वर्ष की कुल सेवा पूर्ण होने अथवा 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा (जो भी पहले हो) होने पर संविदा/अनुबन्ध स्वतः समाप्त माना जायेगा, लेकिन सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को किसी भी दशा में द्वितीय पेंशन अनुमन्य नही होगी।

3– पदस्थापित अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के अन्तर्गत कार्य करेंगे तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करेंगे।

4– उक्त पुनर्नियुक्त अधिकारी को जनहित एवं कार्यहित में किसी समय राज्य के किसी भी जनपद में संविदा सेवा हेतु आदेशित किया जा सकता है, जिसके विरूद्ध अधिकारी द्वारा की गई कोई आपत्ति स्वीकार्य नही होगी।

5– नियुक्त किये गये अधिकारी को 01 माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर 01 माह का वेतन देकर संविदा सेवा/अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त अधिकारी संविदा सेवा से कार्यमुक्त होना चाहते हैं, तो उन्हें 01 माह पूर्व शासन को नोटिस देना होगा, जिस पर नियमानुसार विचार करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

6– जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी का वेतन स्वीकृत पद के वेतनमान रू0 67700–208700 (लेवल–11) के आधार पर स्वीकृत नही किया जायेगा अपितु नियुक्ति अवधि में अधिकारियों को उनके द्वारा सेना से आहरित अन्तिम वेतन से शुद्ध पेंशन (राशिकरण से पूर्व यदि कोई हो) की धनराशि घटाकर प्राप्त शेष में रू0 15000 जोड़कर (या समय–समय पर पुनरीक्षित धनराशि) नियत वेतन दिया जायेगा बशर्ते यह उनके वेतनमान के अधिकतम से अधिक न हो। इसके साथ ही इन्हें सेना से पेंशन भी प्राप्त होती रहेगी। वेतन निर्धारण व सेवायें वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–75/XXVII(7) दिनांक 24.07.2007 व पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–22(5)/2013-D(Res.II), दिनांक 26.12.2013 एवं सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1125/ XVII-5/2017-21(सै0क0) 2002, दिनांक 22.09.2017 व कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1192/XVII-5/2017-01(01)2017 दिनांक 17.10.2017 में निहित समस्त शर्तो एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को उपरोक्त प्रस्तर (6) के अनुसार निर्धारित वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर भत्ते निम्न प्रतिबन्धों के साथ देय होंगे :–

(क) वेतन निर्धारण में सैनिक पेंशन की धनराशि पर कोई भी भत्ता अनुमन्य नही होगा।
(ख) यदि निर्धारित वेतन एवं शुद्ध पेंशन का योग पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक या सेना से प्राप्त अन्तिम आहरित वेतन से अधिक हो जाता है, तो मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते वेतनमान के अधिकतम या अन्तिम आहरित वेतन जो भी कम हो पर देय होगा।

(ग) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कोषागार/बैंक से प्राप्त सैनिक पेंशन पर देय मंहगाई राहत का आहरण पुनर्योजन के दिनांक से नही किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार/बैंक से प्राप्त कर निदेशालय एवं शासन को प्रेषित करना होगा।

8– जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी होंगे। उपरोक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात राजकीय कार्यो से सम्बन्धित यात्राओं के लिए उन्हें राज्य सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा, परन्तु पद ग्रहण अथवा नियुक्ति की समाप्ति के समय उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

9– वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2–4 के सहायक नियम 157(ए) के अधीन तथा तद्विषयक समय–समय पर निर्गत सामान्य आदेशों के अनुसार उन्हें अस्थायी कर्मचारियों के अनुसार अवकाश देय होगा।

10– जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी का स्टेटस अस्थाई कर्मचारियों की भांति माना जायेगा।

11– पुनर्योजित/नियुक्त किये गये अधिकारी को यदि उपर्युक्त शर्तें स्वीकार हों तो, तदनुसार अपनी सहमति निदेशक, सैनिक कल्याण, देहरादून, उत्तराखण्ड के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराते हुये प्रत्येक दशा में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग देहरादून में योगदान देना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– पुनर्योजित/नियुक्त किये गये अधिकारी को उपर्युक्त शर्तो के अधीन शासन द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या– 316 (1)/ XVII-C-1/2024–21(सै0क0)/2002(TC), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
4. महानिदेशक, पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, आर0के0पुरम, नई दिल्ली।
5. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, आर0के0पुरम, नई दिल्ली।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
7. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कन्ट्रोलर ऑफ डिफेन्स एकाउन्टस (पेंशन) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून/इलाहाबाद।
11. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।